ण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

दिनांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 335/2023 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :–

1. करनाराम 2. खुमाराम 3. खेराजराम पि. निम्बाराम 4. ठाकराराम पुत्र अचलाराम 5. पनाराम पुत्र नीम्बाराम 6. पप्पूराम 7. बाबूराम पि. दीपाराम 8. भूरीदेवी पत्नी दीपाराम 9. रामाराम 10. हनुमानराम पि. दीपाराम 11. हुकमाराम पुत्र निम्बाराम जातियान जाट निवासी मानासर तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गुमनाराम पुत्र तुलछा 2. जसुराम पुत्र ताजाराम 3. गोगेदर पुत्र भलाराम 4. जसवन्त पुत्र भलाराम 5. डालूराम पुत्र गोकलाराम 6. धुड़ाराम पुत्र कुम्भाराम 7. नथाराम पुत्र गोकलाराम 8. बागाराम पुत्र कुम्भाराम 9. भीयाराम पुत्र शिवजीराम 10. रतनाराम पुत्र केराराम 11. सताराम पुत्र गोकलाराम जाति जाट निवासी मानासर तहसील चौहटन 12. तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थी :– श्री फताराम गोदारा

निर्णय

दिनांक 10/7/25

प्रार्थी करनाराम पुत्र नीम्बाराम जाति जाट निवासी मानासर तहसील चौहटन द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी/संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खेत मौजा मानासर पटवार हल्का उपरला तहसील चौहटन खसरा नं. 366/285 रकबा 31.3712 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहवासी ढाणी, टांका व मवेशियो के बाडे आदि बने हुए है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जोत में जाने हेतु नया मार्ग चाहा गया है। प्रार्थी को विप्रार्थीगण के खेत मौजा मानासर पटवार हल्का [illegible] रकबा 4.7267 हैक्टेयर व 277 रकबा 10.2952 हैक्टेयर में से चलकर सड़क मार्ग [illegible] आने जाने के लिए रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] रजिस्टर [illegible] गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया [illegible] उपस्थित [illegible] हुआ अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही [illegible]। प्रकरण में चाहे [illegible] की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.23 17:52:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/606 दिनांक 21.04.2025 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	277	10.2952	बा.दो.	20 फीट	0.2266 हैक्टेयर	मानासर	गेगेंदर पुत्र भलाराम 1/16, जसवन्त पुत्र भलाराम 1/16, डालूराम पुत्र गोकलाराम 1/12, धुड़ाराम पुत्र कुम्भाराम 1/8, नथाराम पुत्र गोकला 1/12, बागाराम पुत्र कुंभाराम 1/8, भीयाराम पुत्र शिवजीराम 1/4, रतनाराम पुत्र केराराम 1/8, सताराम पुत्र गोकलाराम 1/12 जाति जाट निवासी सा देह खातेदार

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है। *तहसीलदार चौहटन की ओर से प्रस्तावित उपरोक्त रास्ता में एक खेजड़ी का पेड़ बताया गया।* अतः *तहसीलदार उक्त प्रस्तावित रास्ता में खेजडी के पेड़ं का नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त उक्त रास्ता का रेकर्ड में अंकन करेगा।*

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर स[illegible] क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि देकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या [illegible] प्रभावित होते हैं हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर [illegible] जावेगी।

प्रस्तुत आवेदन में तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित किए रास्ते में एक पेड़ खेजरी का आ रहा है इसके अलावा कोई मकान व कोई कीमति पेड या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.23 17:52:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रभावित (पक्षकारों)/विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समावि[illegible]ाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जा[illegible]लेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। [illegible]ार्वजनि[illegible]योग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट [illegible] हेतु प्रयुक्त अधिकारो के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही[illegible]गा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.23 17:52:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

7. प्रार्थीगण को दिये जाने वाले उक्त रास्ता में तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता में एक खेजडी का पेड बताया गया, तहसीलदार उक्त प्रस्तावित रास्ता में खेजडी के पेड का नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त उक्त रास्ते का रेकर्ड में अंकन करेगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 10.07.2025 को दिया जाता है। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.23 17:52:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार — **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) — दिनांक : 25/02/2025 01:29:01 PM

…ला — तहसील : चौहटन — भू. अ. नि. क्षेत्र : ढोक

ग्राम : मानासर

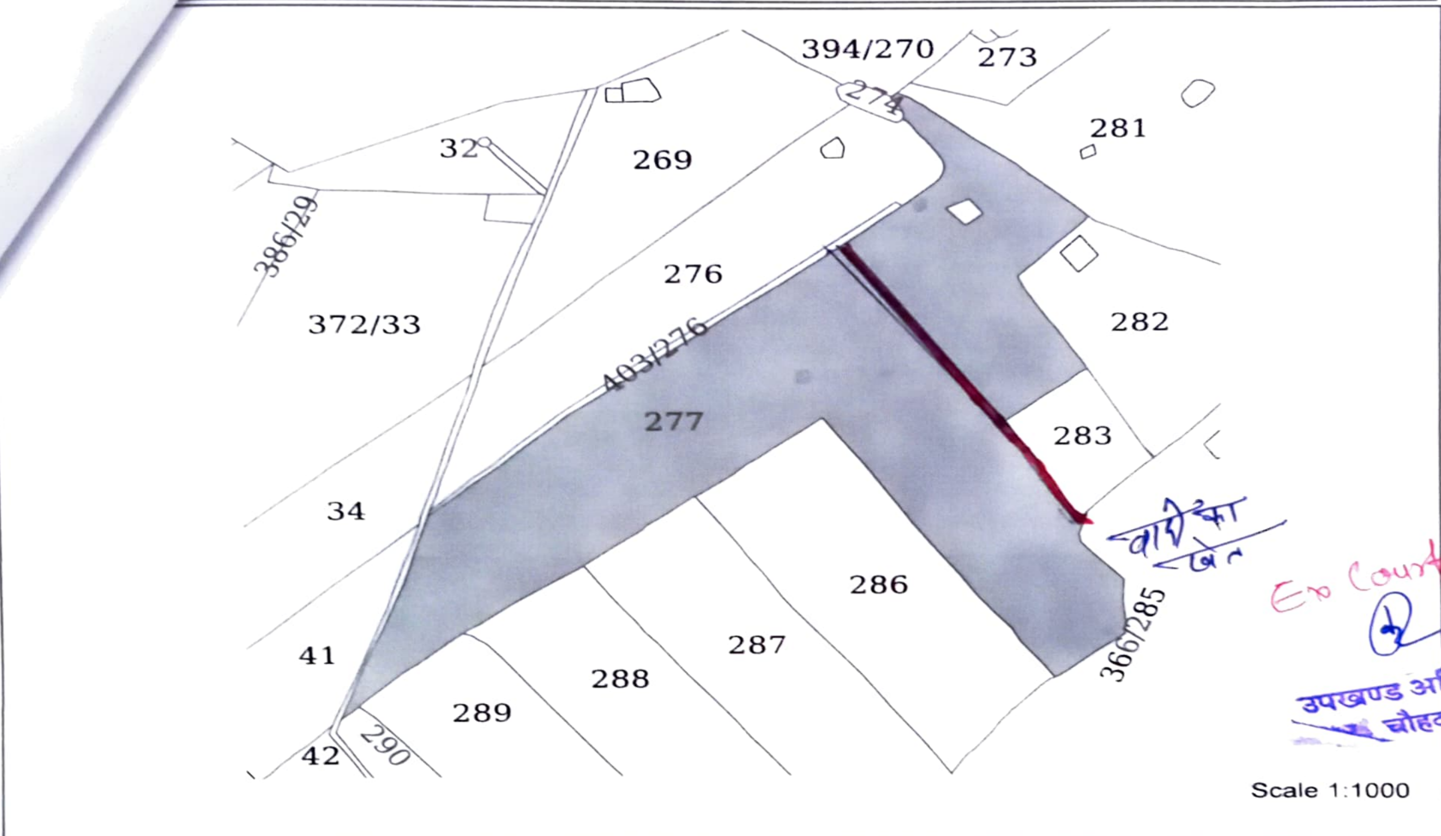

खसरा संख्या :277 क्षेत्रफल : 10.2952 Hectare खाता संख्या : 42पुराना खाता संख्या :30

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.दोयम [10.2952, 3.81]

1.) गोगेंदर पुत्र भलाराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2.) जसवंत पुत्र भलाराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार
3.) डालूराम पुत्र गोकलाराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार
4.) धुड़ाराम पुत्र कुम्भाराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार
5.) नथाराम पुत्र गोकलाराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार
6.) बागाराम पुत्र कुम्भाराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार
7.) भींयाराम पुत्र शिवजीराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार
8.) रतनाराम पुत्र केराराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार
9.) सताराम पुत्र गोकलाराम हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.23 17:52:24 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

सत्यापित प्रतिलिपि 21.04.2025

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

पटवारी (भू.अ.) तहसील-चौहटन

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।